

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून**

संख्या : 206/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/वी-1/आवंटन/कैम्प

दिनांक : 26 जून, 2021

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-778/11(2)/2021-04(15)/2020 टी0सी0, दिनांक 21.06.2021 द्वारा पूंजीलेखा के अनुदान संख्या-20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0/भूमि अधिग्रहण (53-वृहद निर्माण) मद के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुददेशीय परियोजना हेतु Command Area, Cropping Pattern एवं Canal Network आदि के G.I.S. Mapping के कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत ₹ 55.873 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 24.6984 लाख (₹ चौबीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चालीस मात्र) का प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 24.6984 लाख का मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :-

क्र. सं.	मद का विस्तृत विवरण/कार्य का नाम/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
क	20/4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 04-जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0/भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि, 00-53-वृहद निर्माण (4700-80-001-04-00-53)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	
	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी (पी0आई0यू0 जमरानी बांध के निवर्तन पर रखा जायेगा)	
1	Command Area, Cropping Pattern एवं Canal Network आदि के G.I.S. Mapping के कार्य।	24.6984
	योग जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी	24.6984

(₹ चौबीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चालीस मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या-778/11(2)/2021-04(15)/2020 टी0सी0, दिनांक 21.06.2021 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

- सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
- धनराशि व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

संख्या १०.....

संज्ञा नं०.....

दिनांक ०७/०७/२०२१

DATA

(१५)

-2-

6. कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।
7. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2022 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा ।
9. वित्त विभाग के शासनादेश सं० 423/09(150)-2019/XXVII(1)/2021, दिनांक 31.3.2021 में एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय इस कार्यालय व शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

(मुकेश मोहन)

प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 206/प्र०अ०/बजट/बी-1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-II, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।

अध्यापक अभियन्ता (बजट-2),
हल्द्वानी

(सुभाष चन्द्र)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता

सचिव
२७/७/२०२१
२७/७/२०२१